

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक- 1655/213/आउशि/बजट/2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/8/18

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय- योजना क्रमांक 3446 खेलकूद प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट आबंटन।

उपरोक्त विषय में योजना क्रमांक 3446 खेलकूद प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को उनके नाम के समक्ष अंकित अनुसार बजट आबंटन जारी किया जाता है :-

S.no.	Name of College	Place	District	Letter No and Date	Allotment Amount Rs.	Segment Code
1	Govt College	Chand	Chhindwara	852/31.7.18	300000	0103
2	Govt Arts and Commerce College	Rau	Indore	646/4.7.18	400000	0101
3	Govt College	Sihora	Narsinghpur	781/30.7.18	300000	0101
4	Govt College	Ajaygarh	Panna	278/25.7.18	200000	0101
5	Govt College	Gudh	Rewa	226/1.8.18	250000	0101
6	Govt College	Khaniad hana	Shivpuri	402/13.7.18	300000	0101
7	Govt Chhatrasal College	Pichhore	Shivpuri	497/16.7.18	300000	0101
	Total				2050000	

(2) उपरोक्त राशि का आबंटन आपके द्वारा मांग के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध बजट के आधार पर शेष अन्य महाविद्यालयों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए अनुपातिक रूप से किया गया है।


(3) उपरोक्त आबंटित राशि का आहरण महाविद्यालय के नाम के समक्ष अंकित सेगमेंट कोड में वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत निम्नलिखित बजट शीर्ष में विकलनीय होगा :-

बजट शीर्ष	योजना
44-2202-03-102-0101-3446-42-007	उच्च शिक्षा सामान्य
44-2202-03-103-0102-3446-51-000	आदिवासी उपयोजना
44-2202-03-103-0103-3446-42-007	अनुसूचित जाति उपयोजना

(3) व्यय करने के पूर्व समय-समय पर मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं अद्यतन भण्डार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।


N

- (4) सामग्री क्रय एवं राशि के व्यय/भुगतान करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- (5) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत, अद्यतन म0प्र0 भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- (6) क्रय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।
- (7) जिन महाविद्यालयों को डी.डी.ओ.कोड नहीं है उनकी राशि संबंधित महावि/अग्रणी महाविद्यालय के डी.डी.ओ.कोड में अपलोड की गई है।
- (8) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।
- (9) किसी भी स्थिति में आबंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।
- (10) अगवत हो कि वित्त विभाग द्वारा व्यय हेतु मासिक एवं त्रैमासिक सीमा निर्धारित की गई है। अतः आबंटित राशि का नियमानुसार यथाशीघ्र तत्काल आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ताकि राशि लैप्स होने की स्थिति निर्मित न हो सके।
- (11) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्रचार्य की होगी।
"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक—

पृ0क0- 1656 /213/आउशि/बजट/2018
प्रतिलिपि—

1. विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी /राज्यमंत्रीजी उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
4. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना मंत्रालय भोपाल।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
7. समस्त संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।


अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश